

## फॉर्म ए 1- विदेशी मुद्रा में विप्रेषण के लिए आवेदन

(सफेद रंग के कागज पर मुद्रित किया जाए)

सं. \_\_\_\_\_

एडी कोड सं.

सं. \_\_\_\_\_

फॉर्म

(प्राधिकृत डीलर द्वारा भरा जाए)

फॉर्म ए। \_\_\_\_\_

( केवल आयात भुगतान के लिए)

क्रम सं. \_\_\_\_\_

सं. \_\_\_\_\_

विदेशी मुद्रा में विप्रेषण के लिए आवेदन

(भारतीय रिजर्व बैंक के उपयोग के लिए)

राशि \_\_\_\_\_

समतुल्य रुपये में विप्रेषित मुद्रा

रुपये \_\_\_\_\_

(प्राधिकृत डीलर द्वारा पूरा किया जाए)

.....  
मैं/हम भारत में आयात के भुगतान हेतु \_\_\_\_\_ (प्राधिकृत डीलर का

नाम एवं पता) के माध्यम से \_\_\_\_\_ को (विप्रेषण संबंधी हिताधिकारी

का नाम एवं पता) अदा करने लिए \_\_\_\_\_ (मुद्रा का नाम) \_\_\_\_\_

(राशि शब्दों में) खरीदना चाहता/चाहती हूँ / चाहते हैं जिसका विवरण नीचे दिया गया है:



## खंड ग : अन्य विवरण

1. आयात संविदा के अंतर्गत बुक की गई फॉरवर्ड खरीद संविदा, यदि कोई हो, के विवरण

संविदा की सं. एवं तारीख	संविदा की मुद्रा एवं राशि	संविदा के अंतर्गत शेष

2. यदि प्रेषण इनवाइस मूल्य से कम पर किया गया है तो उसका कारण(जैसे- अंश भुगतान, किस्त, इत्यादि)

---

.....  
 मैं/हम इसके द्वारा घोषणा करते हैं/करता/करती हूँ कि इस फॉर्म में मेरे /हमारे द्वारा दिये गये विवरण सत्य हैं तथा और मैंने/हमने किसी अन्य बैंक के माध्यम से प्राधिकार के लिए आवेदन नहीं किया है.

मैं/हम घोषणा करते हैं/करता/करती हूँ तथा यह भी समझते हैं कि इस आवेदन के अनुक्रम में मेरे/हमारे द्वारा अधिगृहीत विदेशी मुद्रा का उपयोग मेरे/हमारे द्वारा केवल ऊपर दिये गये उद्देश्य के लिये किया जाएगा तथा उन शर्तों का अनुपालन किया जाएगा जिनके अधीन विनिमय की मंजूरी दी गयी है.

	.....
	(आवेदक/प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)
	@ आवेदक का नाम तथा पता
। मुहर ।	आयातक का कोड सं.
	@ राष्ट्रीयता.....
तारीख:.....	@ कैपिटल अक्षरों में भरा जाए.

<b>नोट: मध्यवर्ती व्यापार वाले विप्रेषणों के लिए फॉर्म ए 2 का प्रयोग किया जाए.</b>
--

## आवेदक द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली घोषणा

मैं/हम घोषणा करता /करती हूँ / करते हैं कि

(ड) जिस आयात लाइसेंस/सों पर प्रेषण की मांग की गई है, वह/वे वैध है/हैं तथा डीजीएफटी के द्वारा निरस्त नहीं किया गया /किये गये हैं.

(च) वह माल जो इस आवेदन से संबंधित है, मेरे लिए/हमारे अपने लिए भारत में आयातित \* किये गये हैं.

किये जाएंगे

(छ) यह आयात

@ \_\_\_\_\_ \* की ओर से है तथा

(ज) इस फॉर्म पर घोषित माल का इनवाइस मूल्य भारत में आयात किये गये\*  
आयात किये जाने वाले\*

माल का वास्तविक मूल्य है.

यदि आयात  
किया जा चुका  
है

मैं/हम

आयात पत्र\* से संबंधित कस्टम्स- स्टाम्पित विदेशी मुद्रा प्रतिलिपि  
डाक पार्सल रैपर(डाक द्वारा आयातों के लिए)\*/कूरियर रैपर

(कूरियर के माध्यम से आयातों के लिए\*)

इसके साथ संलग्न कर रहे हैं

अथवा

यदि आयात  
किया जाना है

मैं/हम वचन देता / देती हूँ / देते हैं कि

हम प्राधिकृत डीलर को तीन माह के अंदर आयात पत्र\* की संबंधित कस्टम्स- स्टाम्पित विदेशी मुद्रा प्रतिलिपि पोस्ट पार्सल रैपर (डाक द्वारा आयातों के लिए)\*/कूरियर रैपर (कूरियर के माध्यम से आयातों के लिए)\* प्रस्तुत कर देंगे.

\* जो लागू न हो उसे काट दें.


@ जब आयात केंद्रीय/राज्य सरकार विभाग अथवा केंद्रीय/राज्य सरकार/सांविधिक निगम के स्वामित्ववाली कंपनी, स्थानीय निकाय, इत्यादि की ओर से हो तो सरकारी विभाग, निगम इत्यादि के नाम का उल्लेख करें.

तारीख: \_\_\_\_\_

.....  
(आवेदक/प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)

## प्राधिकृत डीलर की टिप्पणियों के लिए स्थान

(अनुमोदन के लिए रिजर्व बैंक को आवेदन अग्रसारित करते समय उस एक्सचेंज कंट्रोल मैनुअल पैराग्राफ/ए.डी.परिपत्र का संदर्भ आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें जिसके अनुसार संदर्भ दिया गया है. यदि रिजर्व बैंक को पहले कभी उसी आयात के लिए प्रेषण आवेदन संदर्भित किया गया है तो पिछले पत्राचार/अनुमोदन का संदर्भ भी प्रस्तुत किया जाना चाहिये.)



.....  
(प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)  
नाम.....  
पदनाम.....

प्राधिकृत डीलर का नाम एवं पता

तारीख:.....

### प्राधिकृत डीलर (आयातक का बैंक) द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाणपत्र

हम इसके द्वारा प्रमाणित करते हैं कि

(क) यह भुगतान निम्न रूप में है

- |       |   |
|-------|---|
| (i)   | ▪ अग्रिम विप्रेषण   |
| (ii)  | ▪ _____हमारे द्वारा खोले गये साख पत्र के अंतर्गत बिलों समय पूर्व भुगतान   |
| (iii) | ▪ _____हेतु हमारे माध्यम से प्राप्त प्रलेखों पर   |
| (iv)  | ▪ परवर्ती द्वारा तीन माह के भीतर कस्टम्स- स्टाम्पित विदेशी मुद्रा नियंत्रण प्रतिलिपि /डाक पार्सल /कूरियर रैपर प्रस्तुत करने के वचन-पत्र के के आधार पर आवेदक/कों को प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त प्रलेखों के लिए |
| (v)   | ▪ परवर्ती द्वारा प्रस्तुत कस्टम्स- स्टाम्पित विदेशी मुद्रा नियंत्रण प्रतिलिपि /डाक पार्सल /कूरियर रैपर के (संलग्न पर) आवेदक/कों को प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त प्रलेखों  |
| (vi)  | ▪   |

कृपया संबंधित ब्लॉक में  
(✓) चिन्हित करें.

(कोई अन्य मामला हो तो स्पष्ट करें)

(ख) विप्रेषण के संबंध में लागू सभी विदेशी मुद्रा नियंत्रण विनियमावलियों का अनुपालन किया गया है

(ग) माल के आपूर्तिकर्ता को \_\_\_\_\_के माध्यम से  
(विदेशी बैंक का नाम एवं पता) भुगतान कर दिया गया है \*  
किया जाएगा \*

हम यह भी प्रमाणित करते हैं / वचन देते हैं कि संबंधित आयात पत्र कस्टम्स- स्टाम्पित विदेशी मुद्रा नियंत्रण प्रतिलिपि अथवा डाक पार्सल /कूरियर रैपर

\* की हमारे द्वारा तीन माह के अंदर जांच की जाएगी

[उपरोक्त प्रमाण पत्र (क)(ii) तथा (iii) के द्वारा].

\* की जांच की जा चुकी है. [उपरोक्त प्रमाण पत्र (क) तथा (v) उपर के द्वारा].

\* आवेदक/कों से तीन माह के भीतर प्राप्त की जाएगी.

[प्रमाण पत्र (क)(i) तथा (iv) उपरोक्त के द्वारा]

मुहर

.....  
(प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)

नाम.....

पदनाम.....

प्राधिकृत डीलर का नाम एवं पता

तारीख:.....

\* जो लागू न हो उसे काट दें.